



2026:AHC:165648

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26580 वर्ष 2026

राज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्ष(गण)

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : भैया घनश्याम सिंह

विपक्ष(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भैया घनश्याम सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री ओ.पी. सिंह को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन, थाना उभांव, जनपद बलिया में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 137(2), 65(1) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5ठ/6 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 07 वर्ष 2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान, आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचनादाता को नोटिस की तामील करा दी गई है।

4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट 44 दिनों के विलंब के बाद दर्ज की गई है और पीड़िता को छह माह बाद बरामद किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 180 एवं 183 के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में पीड़िता ने कहा है कि वह अपनी स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर गई थी तथा उसने अपनी स्वतंत्र सहमति से एक मंदिर में आवेदक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विद्यालय के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 15 वर्ष 10 माह पाई गई है और उक्त प्रमाण-पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद जारी किया गया है, हालाँकि हाई स्कूल का कोई प्रमाण-पत्र अथवा उस विद्यालय का कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, जिसमें पीड़िता ने सर्वप्रथम प्रवेश लिया था तथा उसकी आयु निर्धारित करने के लिए पीड़िता का कोई रेडियोलॉजिकल परीक्षण नहीं कराया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता ने चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक 21.5.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि यदि आवेदक को जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट 44 दिनों के विलंब के बाद इस आरोप के साथ दर्ज की गई है कि आवेदक एवं सह-अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचनादाता की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है, हालाँकि पीड़िता को छह माह बाद बरामद किया गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 180 एवं 183 के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में उसने कहा है कि वह अपनी स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर गई थी तथा उसने अपनी स्वतंत्र सहमति से एक मंदिर में आवेदक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। विद्यालय के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 15 वर्ष 10 माह पाई गई है और उक्त प्रमाण-पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद जारी किया गया है, हालाँकि हाई स्कूल का कोई प्रमाण-पत्र अथवा उस विद्यालय का कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, जिसमें पीड़िता ने सर्वप्रथम प्रवेश लिया था तथा उसकी आयु निर्धारित करने के लिए पीड़िता का कोई रेडियोलॉजिकल परीक्षण नहीं कराया गया है और पीड़िता ने चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। आवेदक 21.5.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों की भारी लंबितता को

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो 2025 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 3038 में प्रकाशित है, के निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में दिए गए दिशा-निर्देश, जो 2024 एस.सी.सी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रकाशित हैं, को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9. आवेदक- राज, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के दो जमानतदारों एवं व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

11. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजे।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

7 अगस्त, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।